<u>कार्यालय कलेक्टर, एवं जिलादंडाधिकारी, जिला -- अनूपपुर (म.प्र.)</u>

क्रमांक · 919 /सीनर डी. पब./2015 अनूपपुर, दिनांक - 13 फरवरी 2015

<u>आम सूचना</u>

COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE

1. एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्धम) द्वारा समस्त राष्ट्र में एकीकृत एवं प्रभावकारी विधुत परेषण नेटवर्क को विकसित करने हेतु, आई.पी.पी. जेनेरेशन प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ के तहत ±800 के. व्ही. एच.वी.डी.सी. चांपा- कुरुक्षेत्र परेषण लाइन का निर्माण कार्य, विधुत मंत्रालय (भारत सरकार) के आदेश क्रमांक 11/2/2008–PG, दिनांक: 03/08/2010 (प्रति संलग्न) एवं उड़ीशा उत्पादन चरण -1 के तहत 765 के व्ही डबल सर्किट धरमजयगढ़-जबलपुर पूल परेषण लाइन का निर्माण कार्य, विधुत मंत्रालय (भारत सरकार) के आदेश क्रमांक 11/4/2007–PG, दिनांक: 15/02/2010 (प्रति संलग्न) के तहत किया जा रहा है। तदानुसार उक्त परेषण लाइन मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ तहसील से होकर जा रही है।

2. ज्ञातव्य हो की भारत सरकार के राजपत्र क्र. 1148 / दिनांक: 24/12/2003 द्वारा पावरग्रिड को परेषण लाइन बिछाने, अनुरक्षण इत्यादि एंव विधुत संयुत्र के सम्बंध मे भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-III में तार प्राधिकारी को प्रदत्त एवं इसमें विहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

3. पावरग्रिड द्वारा ±800 के. व्ही. एच.वी.डी.सी. चांपा- कुरुक्षेत्र एवं 765 के व्ही डबल सर्किट धरमजयगढ़-जबलपुर पूल परेषण लाइन का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ तहसील क्षेत्रान्तर्गत प्रारम्भ किया गया है, जिसे विधुत मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार शीघ्र पूर्ण किया जाना है। उक्त परेषण लाइन के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय तार अधिनियम 1885 भाग-III धारा 16 एवं विधि के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परेषण लाइन के टावर निर्माण के लिए पावरग्रिड द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। अत: भूमि के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं है। विधुत लाइन निर्माण कार्य के दौरान वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली फसलों एवं वृक्षों का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा किए गए सत्यापन एवं मूल्यान्कन के आधार पर संबन्धित कृषकों / प्रभावित स्वामियों को भुगतान किया जावेगा।

5. अतैव राष्ट्रिय महत्व एवं लोकहित के उदेश्य से उपरोक्त कार्य के निर्वोध रूप से कार्यान्वयन हेतु जन सामान्य का सहयोग अपेक्षित है।

कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी
अनूपपुर (म.प्र.)
Distt. Magistrate
Anuppur [M.P]